मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1586/2063/98/सी/चार, भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 98

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि के कारण सेवानिवृत्ति पूर्व बंद कटोत्रे की वसूली बाबत्।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31-5-98 से अपने कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष की गई है। महालेखाकार द्वारा ध्यान में लाया गया है कि 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर्मचारियों के कटोत्रे चार माह पूर्व से बंद कर दिये गये हैं। परन्तु ऐसे कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होने के कारण सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं। साथ ही उनकी सामान्य भविष्य निधि की मासिक कटोत्री जो 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु मानकर नहीं की गयी है, चालू नहीं है।

2. उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की किश्तों की न काटी गई राशि को वसूली मानकर ऐसे सभी अभिदाताओं से राशि काटी जावे, जिनके 58 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु मानकर चार माह पूर्व कटोत्रे बंद कर दिये गये थे।

3. उक्त निर्देशों का पालन तत्काल प्रभाव से किया जावे।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1587/2063/98/सी/चार, भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 98

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव मध्यप्रदेश भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल।
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल।
9. मुख्य लेखा अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल।
10. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर भोपाल।

11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट टी. टी. नगर, भोपाल।
12. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/61, तुलसी नगर, भोपाल।
13. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ,कार्यालय 12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल।
14. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस कार्यालय, 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल।
15. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय, 48/26, साऊथ टी. टी. नगर, भोपाल।
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, विन्ध्याचल भवन के पीछे बेसमेन्ट भोपाल।
17. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ 83/85 तुलसी नगर, भोपाल।
18. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल।
19. पेंशन कल्याण के सभी सदस्य।
20. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
21. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश।
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
23. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

(ए. आर. त्रिपाठी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग